

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/02/2014-अ.भा.से.।।।


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 4 जनवरी, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	सुरेश कुमार सिन्हा	1999	05.11.2013
2.	कृष्ण मोहन	1999	05.11.2013
3.	राम भुजावन चौधारी	1999	05.11.2013
4.	रामाशीष पासवान	2000	05.11.2013
5.	चितरंजन सिंह	2000	06.11.2013
6.	नीलम गुप्ता	2000	05.11.2013
7.	सैयद परवेज़ आलम	2000	05.11.2013
8.	ललन जी	2000	05.11.2013
9.	शशि भूषण कुमार	2000	05.11.2013
10.	अजय कुमार चौधरी	2000	05.11.2013
11.	कुंवर जंग बहादुर	2000	05.11.2013
12.	बैद्यनाथ यादव	2007	30.01.2016


(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).